प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर वर्ष 2022.
प्र0इ0रि0 सं. ......68/2022.............................दिनांक 3/3/2022..........................

2. (I) * अधिनियम ...पी0सी0 (संशोधन) एक्ट 2018.......... धाराये..........7........
(II) * अधिनियम ....धारायें ....
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....56............... समय 3-30 P.M.
(ब) * अपराध घटने का वार..........दिनांक....06.01.2022....... समय......................
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 06.01.2022

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक– **लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– पूर्वोत्तर दिशा में करीब 13 कि0मी0 ....
(ब)*पता–पुलिस थाना खो–नागोरियान, पुलिस आयुक्तालय जयपुर पूर्व............
....बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.................बाबू खान.............................. ....
(ब) पिता / पति का नाम–**श्री मसीद खान** ....
(स) जन्म तिथी / वर्ष.........**उम्र 37 साल**...
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**...
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....
(ल) पता... ढाणी चौपड़ा, जगतपुरा रोड़, पुलिस थाना खो–नागोरियान, जयपुर।

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
1– श्री इस्हाख खॉ **पुत्र श्री मोहम्मद खॉ उम्र–59 साल निवासी– ग्राम पोस्ट– खो दरिबा तहसील राजगढ जिला अलवर हाल हैड कानि.नं.92 पुलिस थाना खो–नागोरियान, पुलिस आयुक्तालय जयपुर पूर्व**

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..
चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....

10. * चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....

11. * पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 06.01.2022 को श्री बजरंग सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक रघुवीर शरण को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री बाबू खान पुत्र श्री मसीद खान, उम्र 37 साल, निवासी खो नागौरियान, ढाणी चौपडा, जगतपुरा रोड, जयपुर की एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर मुझ पुलिस निरीक्षक के नाम पृष्ठांकन कर परिवादी से सम्पर्क करने की मुनासिब हिदायत कर मुझे देकर नियमानुसार अग्रिम

कार्यवाही करने के निर्देश फरमाये।तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री बाबू खान द्वारा पेश प्रार्थना पत्र लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया। परिवादी श्री बाबू खान द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर इस आशय का पाया कि – सेवामें श्रीमान, अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (राज.), विषय– खो नागोरियान थाने के भ्रष्ट हैड कानि. ईसाक खान, के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैनें करीम नगर विस्तार, प्लॉट नं ए–10 खो नागौरियान जिला जयपुर में खरीदा है जो मेरे पिताजी के नाम से खरीदा हुआ है। मेरे पिताजी का ईन्तकाल होने के बाद उक्त प्लॉट का मैं वारिस हूँ। खो नागौरियान में एक अब्दुल मलिक नाम के व्यक्ति ने मेरे प्लॉट पर मालिकाना हक जताते हुए थाने में मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। जब कि उक्त प्लाट पर मैं पिछले 15 साल से चार दीवारी बनाकर काबिज हूँ। खो नागोरियान थाने का एच.एम. बार–2 मुझे बुला कर एक लाख रूपये की मांग करता है। और रूपये नहीं देने पर गिरफ्तार करने की बार–बार धमकी दे रहा है। मैं एच. एम. साहब को रिश्वत नही देना चाहता, उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। श्री ईसाक खान H.M साहब से मेरी कोई लेनदारी –देनदारी नहीं है नाहीं मेरा उससे कोई विवाद है आप उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर मामला प्रथम दृष्ट्या रिश्वत मांग का पाया जाने से मुझ पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में पूर्व से उपस्थित श्री अमित ढाका कानि 489 के मोबाईल नं. 8079007813 से मन निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री बाबू खान के मोबाईल नम्बर 9829332170 पर अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया गया तो परिवादी श्री बाबू खान ने कार्यालय हाजा आने में असमर्थता जताते हुए खो नागोरियान पुलिस थाने के पास में स्थित चाय की थड़ी पर मांग सत्यापन हेतु मिलना बताया। जिस पर मन निरीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष की आलमारी से वॉईस रिकॉर्डर मंगवा कर खाली होना सुनिश्चित कर श्री अमित ढाका कानि 489 को वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाकर वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक दिशा निर्देश देकर मय श्री दिलावर खान कानि 246 के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी द्वारा बताये गये निर्धारित स्थान पर प्राईवेट वाहन से रवाना किया गया। समय 01.55 पीएम पर श्री अमित ढाका कानि 489 व श्री दिलावर खान कानि 246 कार्यालय में उपस्थित आये श्री अमित ढाका कानि 489 ने वॉइस रिकॉर्डर बन्द हालत में मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं व दिलावर खान कानि आपके बतायेनुसार खो नागोरियान पुलिस थाने के पास में स्थित चाय की थड़ी पर पहुँचे जहां पर परिवादी के मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क किया परिवादी श्री बाबू खान उपस्थित आया, जिस पर मैनें बाबू खान को वॉईस रिकॉर्डर चालू कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु सुपुर्द किया। परिवादी बाबू खान लगभग 10 मिनट बाद वापस आया जिस पर मैनें परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी बाबू खान ने बताया कि मेरी खो नागोरियान थाने में हैड साहब से बात हुई है। जिन्होनें मुझसे मेरे काम के एवज में रिश्वत की मांग की है। जो मेरे द्वारा वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने जरिए मोबाईल परिवादी से बात की तो परिवादी ने खो नागोरियान थाने में हैड कानि0 श्री ईसाक खान द्वारा रिश्वत राशि 10 हजार रूपये मांगना बताया। मन पुलिस निरीक्षक ने वॉईस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर सुना तो परिवादी के कथनों की ताईद होती है। आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जावेगी। वॉयस रिकार्डर को सुरक्षित हालत में कार्यालय की आलमारी में रखा गया। समय 03.50 पीएम पर परिवादी श्री बाबू खान उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि आज मेरे पास पूरे पैसे की व्यवस्था नही हुई है मैं कल सुबह 09 बजे तक पूरे पैसे की व्यवस्था कर आपके पास आउंगा क्योंकि संदिग्ध आरोपी ने मुझे कल ही पैसे लेकर बुलाया है जिस पर श्री हिम्मत सिंह कानि0 560 को गोपनीय कार्यवाही हेतू दो स्वतंत्र गवाहान पाबन्द कर लाने हेतू पत्रांक एसपीएल दिनांक 06.01.2022 के रवाना किया गया। परिवादी श्री बाबू खान को प्रार्थना पत्र में उल्लेखित प्लाट नम्बर ए–10, करीम नगर, विस्तार, खो नागौरियान, जयपुर से संबंधित दस्तावेज एवं आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत की राशि लेकर कल दिनांक 07.01.2022 को वक्त 09:00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने की एवं गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रूखस्त किया गया। समय 05.05 पीएम पर श्री हिम्मत सिंह

कानि0 560 गोपनीय कार्यवाही हेतू दो स्वतंत्र गवाहान पाबन्द करवाकर कार्यालय सहायक अभियन्ता, पीएचडी, एसयूबी–10,दक्षिण महेश नगर, जयपुर से श्री राजेश कुमार गोयल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालय मुख्य रसायनज्ञ, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर से श्री कुलदीप शर्मा, प्रयोगशाला, कनिष्ठ सहायक को पाबन्द कर कल दिनांक 07.01.2022 को प्रातः 09:00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु हिदायत कर उपस्थित कार्यालय आया। दिनांक 07.01.2022 को समय 09.35 ए.एम पर स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार गोयल एवं श्री कुलदीप शर्मा उपस्थित कार्यालय आये, जिनसे नाम पता पूछा तो स्वतंत्र गवाहान ने अपने नाम पता क्रमशः श्री राजेश कुमार गोयल पुत्र श्री घनश्याम दास गुप्ता, उम्र 54 साल निवासी 192, छेलो का रास्ता जलेबी चौक, ब्रम्हपुरी त्रिपोलिया बाजार, जयपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, पीएचईडी, सब–10, दक्षिण महेश नगर जयपुर मोबाईल नम्बर 9414605577 व दूसरे ने श्री कुलदीप शर्मा पुत्र श्री रामअवतार शर्मा उम्र 27 साल निवासी निकटपुर, तहसील कठूमर, जिला अलवर हाल प्रयोगशाला कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य रसायनज्ञ, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर मोबाईल नम्बर 9024240017 होना बताया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान से गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमती चाही जाने पर स्वतंत्र गवाहान ने अपनी स्वेच्छा से गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक सहमती प्रदान की। समय 09.40 एएम पर परिवादी श्री बाबू खान उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि मेरे पास संदिग्ध कर्मचारी श्री इस्हाख खॉ, हैड कानि. को दी जाने वाली सम्पूर्ण रिश्वत राशि की अभी तक व्यवस्था नहीं हुई जैसे ही मेरे पास संदिग्ध कर्मचारी को दी वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था होगी मैं आपसे सम्पर्क कर एसीबी कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार गोयल व श्री कुलदीप शर्मा एवं परिवादी श्री बाबू खान को गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब कर रूखस्त किया गया। दिनांक 10.01.2022 को परिवादी श्री बाबू खान ने मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर फोन कर बताया कि मेरे पास संदिग्ध कर्मचारी को दी जाने वाली सम्पूर्ण रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गई है, लेकिन संदिग्ध आरोपी ने रिश्वत लेने के लिए मेरे से सम्पर्क नहीं किया है। मन् पुलिस निरीक्षक अन्य गोपनीय सूत्र सूचना की कार्यवाही में व्यस्त होने के कारण परिवादी श्री बाबू खान को आरोपी द्वारा सम्पर्क करने पर सूचित करने की मुनासिब हिदायत की गई। दिनांक 24.01.2022 को परिवादी श्री बाबू खान उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया व बताया कि संदिग्ध आरोपी ने रिश्वत राशि लेने हेतू मेरे से अभी तक सम्पर्क नहीं किया है, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि संदिग्ध आरोपी ने मेरे सामने वाले पक्ष से कोई सांठ गांठ कर ली है या मेरे द्वारा एसीबी में की गई शिकायत के सम्बन्ध में कोई शंका हो गई है इस कारण संदिग्ध आरोपी द्वारा अब मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करने की कोई सम्भावना नहीं है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये। चूंकि संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान वार्ता में रिश्वत मांग सत्यापन वॉयस रिकार्डर में रिकॉर्ड होना पाया गया है, परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने हेतू उपस्थित रहने को कहा तो परिवादी ने बताया कि एक–दो दिन मेरे घरेलू कार्य हैं मैं मेरे घरेलु कार्य में व्यस्त हुं, जैसे ही मैं मेरे निजी कार्य से फ्री हो जाउंगा मैं एसीबी कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 27.01.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री बाबू खान के मोबाईल फोन पर फोन किया तो परिवादी ने बताया कि मैं मेरे निजी कार्यों से फ्री हो गया हुं, मैं कल दिनांक 28.01.2022 को एसीबी कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर कार्यालय हाजा में अन्य गोपनीय कार्यवाही हेतू पूर्व के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश सैनी व श्री मोहन लाल कोली को कल दिनांक 28.01.2022 को समय 09.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने के लिए पाबन्द किया गया।

परिवादी श्री बाबू खान व स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश सैनी व श्री मोहन लाल कोली दिनांक 28.01.2022 को उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये जिनसे नाम पता पूछा तो स्वतंत्र गवाहान ने अपने नाम पता क्रमशःश्री मोहन लाल कोली पुत्र स्व0 श्री ताराचंद उम्र 48 साल निवासी 9

एल/460, इन्द्रा गांधी नगर, बनास मार्ग, जयपुर थाना खो नागोरियान हाल कनिष्ठ सहायक, नगर निगम ग्रेटर, लालकोठी, जयपुर मो. न. 9460435931 दूसरे ने श्री नरेश कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभाती लाल सैनी उम्र 52 साल निवासी प्लाट नम्बर 27ए, चौधरी कॉलोनी करतारपुरा, जयपुर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय राजस्थान ललित कला अकादमी, झालाना झूंगरी, जयपुर मोबाईल नं. 9462866045 होना बताया जिस पर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट पढकर दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान से गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमती चाही जाने पर स्वतंत्र गवाहान ने अपनी स्वेच्छा से गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की लिखित मे पृथक-पृथक अपनी सहमती प्रदान की। तत्पश्चात गवाहान के समक्ष परिवादी व संदिग्ध आरोपी श्री ईसाक खान के मध्य दिनांक 06.01.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त वॉईस रिकॉर्डर जो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा हुआ है, को कार्यालय की अलमारी से निकालकर वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप से जोड़कर सुना जाकर फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप से तीन खाली सीडीयों में डाउनलोड किया जाकर मार्क A-1, A-2 मार्क A-3 (आईओ कॉपी) अंकित कर दो सीडी मार्क A-1 एवं मार्क A-2 को अलग-अलग प्लास्टिक के सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व सीडी अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। मार्क A-1, A-2 को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। सीडी मार्क A-3 (आईओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड (जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन की वार्तायें रिकॉर्ड/सेव हैं)को सुरक्षित वॉईस रिकॉर्डर से बाहर निकालकर एक सफेद कागज मे लपेटकर माचिस की डिब्बी मे डालकर मार्क M अंकित कर मेमोरी कार्ड (माचिस की डिब्बी) मार्क M को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क M अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर किया गया। कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो,विअनुई, जयपुर के पत्रांक 160 दिनांक 28.01.2022 के जरिये दो सील्डशुदा सीडीयां मार्क A-1, A-2 एवं एक शील्डशुदा सफेद कपड़े का पैकेट मार्क M को जमा मालखाना करवाया गया एवं मार्क A-3 खुली सी.डी. को पत्रावली के साथ सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री बाबू खान के विरूद्ध पुलिस थाना खो-नागोरियान, पुलिस आयुक्तालय जयपुर पूर्व में श्री अब्दुल मलिक द्वारा दी गई रिपोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए परिवादी से रिश्वत के रूप में एक लाख रूपयों की मांग करना परिवादी ने अपने हस्तलिखित प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है, जिस सम्बन्ध में दिनांक 06.01.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता परिवादी श्री बाबू खान से आरोपी **श्री ईसाक खान**- ले आ ये **भी कोई** कहने की बात करता है क्या, **परिवादी**- कितने लाऊ तो, **आरोपी**- ले आ (गाली) करोड़ो का सौदा कर रहे हो क्या, **परिवादी**- कितना तो कितना लाऊं पाँच, दस, **आरोपी**- ले आ परिवादी-हां आरोपी- अब दस से तो कम तो फिर (गाली) शर्म भी आयेगी, तुम्हें क्या कहूं मैं, **परिवादी**- दस ....मेरी बात सूनो आप, मेरी बात सूनो, **आरोपी**- हां **परिवादी**- कल दे दू तो पैसे आज इसको लेके जाऊ तो, **आरोपी**-यहां वहां वो बैठे हैं अधिकारी वो उनसे कराना पड़ेगा यहा पे वो है क्या मैं फोन करता हूं तेरे को **तेरी बिमारी यहीं मेट रहा हूं** कोई प्रतापनगर जा रहा है, कोई (गाली) वहां जा रहा है सारे काम कर रहा हूं, परिवादी-एक मिनट **आरोपी**- बात को ही नहीं समझ रहा है क्या, **परिवादी**- सर, सर पाँच दे दू अभी आरोपी- पूरे दो **परिवादी**-हां **आरोपी**- पूरे ही दो उपरोक्त वार्ता में परिवादी से संदिग्ध आरोपी ईसाक खान द्वारा रिश्वत राशि 10 हजार रूपये की मांग करना स्पष्ट होता है। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करवाने के लिए आरोपी का सेवा विवरण प्राप्त किया तो प्रभारी संस्थापन शाखा कार्यालय पुलिस उपायुक्त(मुख्यालय) जयपुर द्वारा प्रेषित सेवा विवरण प्रपत्र में आरोपी का नाम श्री ईशाक खान के स्थान पर इस्हाख खॉ होना ज्ञात हुआ, इस कारण से प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी का नाम ईशाक खान के स्थान पर इस्हाख खॉ नाम का उल्लेख किया गया है, अतः आरोपी का नाम इस्हाख खॉ पढ़ा जावे।

मामले में उपरोक्त कार्यवाही एवं संकलित साक्ष्यों से आरोपी श्री इस्हाख खॉ पुत्र श्री मोहम्मद खॉ उम्र–59 साल निवासी– ग्राम पोस्ट–खो दरिबा तहसील राजगढ जिला अलवर हाल हैड कानि.नं.92 पुलिस थाना खो–नागोरियान, पुलिस आयुक्तालय जयपुर पूर्व द्वारा परिवादी श्री बाबू खान के खरीदे गये प्लॉट जो उसके पिताजी के नाम से है परिवादी के पिताजी का इन्तकाल होने के बाद उक्त प्लॉट पर अब्दुल मलिक नाम के व्यक्ति द्वारा अपना मालिकाना हक जताते हुए पुलिस थाना खो–नागोरियान में परिवादी के खिलाफ दी गई रिपोर्ट को रफा–दफा करने की एवज में दस हजार रूपये रिश्वत की मांग करना दौराने रिश्वत मांग सत्यापन पाया गया है। आरोपी का उक्त कृत्य प्रथम दृष्ट्या अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रमाणित पाया गया है। अतः उक्त धारा में आरोपी के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है।

(रघुवीर शरण)
पुलिस निरीक्षक
विशेष अनुसंधान ईकाई,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री इस्हाख खॉ, हैड कानि. नम्बर 92, पुलिस थाना खो-नागोरियान, पुलिस आयुक्तालय जयपुर पूर्व के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 68/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

3/3/22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 623-28 दिनांक 3.3.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1 जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस उपायुक्त(मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
4. पुलिस उपायुक्त(पूर्व), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

3/3/22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर